

महत्वपूर्ण सूचना

- १) मददकर्ता को निवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात नये लोगो को इस सिस्टम में जोड़ना जरूरी नहीं है | केवल मदत कारने हेतु इस सिस्टम में जुड सकता है |
- २) निवेदन पत्र पर मददकर्ता क्रमांक २ से ७ में से किसी एक आपलाइन मददकर्ता की मंजूरी आवश्यक होगी | मंजूरी देने से पूर्व मददकर्ता जाँच ले की निवेदन पत्र भरते समय कोई गलती तो नहीं की गई है |
- ३) जब नये निवेदन पत्र आपको मिले तो अपने फॉर्म के अनुसार यह जाँच ले कि आपके द्वारा जमा किये जा रहे निवेदन पत्र में जो ७ नंबर का मददकर्ता है, वह सिस्टम से बाहर हो गया हो और १ नंबर पर नये मददकर्ता का नाम लिखा हो, बाकी सभी नाम क्रम से उपर गये हो |
- ४) सभी नाम सिस्टम द्वारा बनाये गये नियामो के अनुसार लिखे हो तभी नये निवेदन पत्र स्वीकार करे | एक बार नये निवेदन पत्र जारी हो जाने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया जायेगा |
- ५) सिस्टम द्वारा किसी भी मददकर्ता से किसी भी प्रकार की कोई फीस, चार्ज या मदद नहीं ली जाती |
- ६) सिस्टम में बताये गये लोगों कि मदद भारतीय डाक के मनीऑर्डर द्वारा हि किया जाना अनिवार्य है | मनीऑर्डर फॉर्म eMO व Message code ०८ चुने |
- ७) रविवार तथा सरकारी छुट्टी को आवेदन पत्र जारी नहीं किये जायेंगे |
- ८) मनीऑर्डर की रसीद लगे निवेदन पत्रकी स्केन कॉपी स्विकार करके उनकी जांच करने के पश्चात, सिस्टम द्वारा स्विकृती मिलने पर हि नये (मददकर्ताओं) को फार्म वितरीत किये जायेंगे |
- ९) मनीऑर्डर की रसीद लगे निवेदन पत्रकी स्केन कॉपी में मनीऑर्डर की अस्पष्ट, कटीफटी रसीद या कोई भी गलती या गलत नाम, गलत पता, गलत पिनकोड या गलत रक्कम संदेह होने पर सिस्टम मे शामिल नहीं किया जायेगा |
- १०) अपलाइन मददकर्ता फार्म ठिक प्रकार से भरा हो इसकी जाचं कर ले और सोच समझकर अपनी जिम्मेदारी पर मंजूरी दे |
- ११) निवेदन फॉर्म भरकर अपने आपलाइन मददकर्ता को या नजदिकी आवेदन संग्रहण केंद्र (Request Form Collection Center) में जमा कर सकते है | साथ आवेदक के PAN कार्ड की स्वतः द्वारा सत्यप्रती ZEROX देनी होगी |
- १२) निवेदन पत्र पर भेजे गये मनीऑर्डर की ओरिजिनल रसीद लगाना आवश्यक है |

- १३) जब नया मददकर्ता सिस्टम में जोड़ा जाता है तब इस फॉर्म से डोनर नं. ७ का नाम काट दिया जाता है बाकी ६ को एक-एक नं. उपर बढ़ा दिया जाता है ।
- १४) नये मददकर्ताओं के नये फॉर्म में सभी नाम सिस्टम द्वारा बताये गये सीरिअल के मुतबिक सही लिखे हैं इसकी जांच करे ।
- १५) नये मददकर्ता को सिस्टम द्वारा फॉर्म जारी होने के ३० दिन तक ही किसी चार निवेदक के लिये निवेदन पत्र दे सकते हैं । शुरू करने की तारीख से ३० दिन यह अंतिम दिन होगा ।
- १६) ३० दिन पुरे होने से पहले मदद प्रणाली फॉर्म में दिये गये नामों को मनीऑर्डर करना आवश्यक होगा । अन्यथा आप किसी और को सिस्टम में शामिल नहीं कर पाओगे ।
- १७) ३० दिन पुरे होने से पहले चार निवेदकों को सिस्टम में शामिल नहीं कर सके तो ३० दिन बाद मदद नहीं आयेगी ।
- १८) एक बार मददकर्ता को स्विकृती मिलने के पश्चात उसकी किसी भी जानकारी में कोई भी बदलाव नहीं किया जायेगा अतः निवेदनपत्र भेजने से पहले ठिक प्रकार से नाम, पता, मोबाईल नंबर, पिनकोड नंबर जांच कर लें ।
- १९) किसी कारणवश मददकर्ता सिस्टम से बाहर जाना चाहे तो उसने भेजी हुयी मदद वापस नहीं की जायेगी । आपने उन लोगों को मदद की है जो जरूरतमंद लोग हैं । (Donation are not refundable)
- २०) इस सिस्टम में शामिल होने के लिये किसी भी प्रकार का कोई चार्ज / फीस या डोनेशन नहीं देना होगा ।
- २१) अगर किसी मददकर्ता (Donar) द्वारा मदद प्रणाली की छवी को नुकसान पहुंचाया गया और नुकसान पहुंचाने के सबूत मिले तो बिना किसी पूर्व सूचना के उसे सिस्टम से बाहर कर दिया जायेगा ।
- २२) मनीऑर्डर की रसिद लगे निवेदन पत्र की स्केन कॉपी में मनीऑर्डर की जान बुझकर अस्पष्ट, कटीफटी रसिद या कोई भी गलती या गलत नाम, गलत पता, गलत पिनकोड, या गलत रक्कम संदेह होने पर सबूत मिले तो बिना किसी पूर्व सूचना के उसे सिस्टम से बाहर कर दिया जायेगा ।

ध्यान रहे यह कोई कंपनी, स्किम या व्यापार नहीं है । पारदर्शी व्यवहार हमें अधिक लोगों की मदद करने व उनके जीवन में आने वाली आर्थिक परेशानियों को कम करने में मददगार शाबित होगा ।